न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 92/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
हवीया पुत्र श्री पोमाजी रेबारी आयु 76 साल पेशा खेती जाति रेबारी निवासी तेलपुर तह.पिण्डवाडा जिला सिरोही		1– रमेशकुमार पुत्र श्री पेकाजी 2– उत्तमकुमार पुत्र श्री पेकाजी 3– नवाराम पुत्र श्री भीखाजी 4– भगा पुत्र हटाजी सभी आयु व्यस्क जाति घांची निवासी सिरोही तह.व जि. सिरोही 5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2– अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री दिनेश टांक
3– अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27–2–2017

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 1–5–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बालदा तहसील सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 –2074 के खाता संख्या 327 खसरा नंबर 791 क्षैत्रफल 1.1300 हेक्टेयर है की आई हुई है। वर्णित कृषि भूमि के भूप्रबन्ध से पूर्व के पुराने खसरा नंबर 573/360 है। उक्त पुराने व नये खसरा नंबरान के मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रार्थनापत्र संलग्न है। ग्राम राजपुरा (बाल्दा) मे पुराने खसरा नंबरान क्रमशः 360 और 361 की राजकीय बिलानाम कृषि भूमि बडे चक के रूप मे पास पास स्थित रही है। उकत बिलानाम भूमि मेसे कई काश्तकारों को भूमि का आवंटन टुकडो के रूप मे होता रहा है। उपरोक्त खसरा संख्या 360 मेसे 13 बीघा 13 विस्वा भूमि का आवंटन धांची समाज के व्यक्तियों ओटा,बाबू,मगन पिसरान भुराजी और कानाजी धांची को हआ था आवंटन के दिन ही राजस्व कर्मचारियों ने

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue page-2

उपरोक्त आवंटियों को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस मे वर्णित खसरा नंबर 804 के "एबीसीडी" भू भाग और उससे लगती भूमि पर काबिज कराकर कब्जा सुपुर्द किया था तब से धांची समाज के उक्त व्यक्तियों उपरोक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी हवीया और उसके भाई सवीया ने उपरोक्त खसरा नंबर 804 के "एबीसीडी" भू भाग और उससे लगती भूमि को आज से करीब 36 वर्ष पहले पूर्व के खातेदार ओटा बाबु मगन पिसरान भूराजी और काना धांची से खरीद कर कब्जा धारण किया है। उपरोक्त भूमि को खरीदने के बाद दोनो भाईयों प्रार्थी हवीया और सवीया ने उकत भूमि को कडी मेहनत से उपजाउ बनाया । दोनो भाईयों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान मे आवेदन प्रस्तुत कर कब्जे शुदा भूमि का बंटवाड कराया जिससे संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस मे वर्णित "एबीसीडी" भू भाग प्रिार्थी सवीया के हिस्से मे आया जिसके वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त "एबीसीडी" भू भाग के खसरा नंबर 804 होते है अर्थात वर्तमान खसरा नंबर 804 की भूमि पर प्रार्थी हवीया का कब्जा काश्त पिछले 36 वपर्षो से लगतार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार उपर वर्णित प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के नये खसरा नंबर 804 होते है लेकिन सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियेां ने खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि को लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज करने के बजाय अप्रार्थी संख्या 4 और अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता और दादा भीखा पिसरान हटाजी अंकित कर दी है जबकि भीखा भगा पिसरान हटाजी का उक्त खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। भीखा भगा पिसरान हटाजी शुरू से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि से करीब 1000 फिट की दूरी पर काश्त करते रहे है जिन्होने उक्त खसरा नंबर 804 पर कभी भी खेती नही की है और नही खसरा संख्या 804 की कृषि भूमि से उनका कोई लेना देना ही रहा है प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 573/360 के स्थान पर नये खसरा नंबर 804 अंकित होने चाहिये थे क्योंकि प्रार्थी ने उपरोक्त आवंटित कृषि भूमि को बडी मेहनत कर और लागत लगाकर उपजाउ बनाया है लेकिन राजस्व कर्मचारियेां ने सेटलमेण्ट के समय त्रुटीवश प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 804 मे अंकित नही कर खसरा संख्या 791 मे अंकित कर दिये है जबकि खसरा नंबर 791 की भूमि प्रार्थी के खातेदारी मे मौके व कबजे के अनुसरार खसरा संख्या 804 अंकित नही होकर खसरा नंबर 791 अंकित हो जाने से प्रार्थी को सरकारी कार्यो मे कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। राजस्व रेकर्ड मे उकत गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति शंका एवं व्यवधान उत्पन्न हो रहे है राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी प्रार्थी को नही मिल पा रहा है। पटवारी हल्का बाल्दा ने तहसीलदार सिरोही के माध्यम से माननीय न्यायालय मे

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-3

जवाब/मौका फर्द और प्रार्थी के कब्जे को दर्शाते नक्शा द्रेस प्रस्तुत किया है । तहसीलदार महोदय/सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब और मौका फर्द मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी का वास्तविक कब्जा काश्त खसरा नंबर 791 की कृषि भूमि मे नही होकर खसरा नंबर 804 के ए.बी.सी.डी. भू–भाग .01.13 हेक्टेयर भूमि पर है और अप्रार्थीगण का कब्जा खसरा नंबर 808 की भूमि पर है। जबकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार उनके पूर्व के खातेदारों के जरिये पिछले 37 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार/बिना रूकावट /एवं शान्तिपूर्वक तरीके से निर्बाध रूप से चला आ रहा है प्रार्थी ने उक्त भूमि पर गैहु फसल बोयी थी जो पककर तैयार होने से उक्त गैहु की फसल को प्रार्थी ने काटकर ले लिया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक ता 4 और अप्रार्थी संख्या 5 राजस्थाान राज्य के राजस्व अधिकारियों की जानकारी मे वाके ग्राम राजपुरा (बाल्दा) के खसरा नंबर 804 रकबा 01.13 हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगातार/बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से अपना हक जताते हुये गत 37 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त है एवं यह कब्जा प्रतिकूल कब्जा होने से प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खाततेदार कृषक विधि मे बन चुका है। प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व ओपन एवं होस्टाईल कब्जा आधिपत्य है। प्रार्थी का यह भी निवेदन है कि दौराने वाद वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे परिर्वतन कर दिया गया या अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा उक्त कृषि भूमि का विकय या हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी के हितो के विपरित प्रतिकूल प्रभाव पडेगा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा करेंगे जिससे लडाई झगडा होने की आशंका बनी रहेगी प्रार्थी को बहुविवाद मे उलझना पडेगा प्रार्थी के वाद करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा जिसका मुल्यांकन किया जाना सम्भव नही होगा एवं प्रार्थी को अतुलनीय अपूरक क्षति होगी । जिससे प्रार्थी के हितो के रक्षार्थ अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है कि अप्राथी संख्या 1 ता 4 व उनके नुमाईन्दे तानिर्णय वाद प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज मे परिर्वतन नही करावें एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति को तानिर्णय वाद यथावत बनाये रखें । सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है एवं प्रार्थी के प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे को एवं प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को तानिर्णय वाद यथावत बनाये रखे जाने मे है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ग्राम राजपुरा बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 804 के ए.बी. सी.डी. भाग मे 01.13 हेक्टेयर कब्जे वाली भूमि पर तानिर्णय वाद प्रार्थी के कब्जा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-4

काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वंय पैदा करें एवं नही अपपने एजेण्टों के जरिये पैदा करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को परिवर्तित नही करावें तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तकरण नही करें,अप्रार्थी संख्या 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को तानिर्णय वाद परिवर्तित नही करें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित मौजा राजपुरा (बाल्दा) तहसील सिरोही के खसरा नंबर 791 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074,खसरा नंबर 804 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074, जमाबंदी संवत 2050 से 2053,खाता नंबर खाता नंबर 146 खसरा नंबर 581/361 जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता नंबर 244 खसरा नंबर 572/360,खसरा नंबर 573/369 की नक्शा किश्तवार,नक्शा ट्रेस व मिलान क्षैत्रफल की प्रतियों तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तुत 136एल.आर.एक्ट प्रकरण मे जवाब,मौका फर्द,नक्षा ट्रेस,उक्त 136 एल.आर. एक्ट मे प्रस्तत जवाब,न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 136एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 23–2–2017 की प्रति,विक्रय विलेख दिनांक 7–4–1980 की प्रति का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन करने के बाद न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 1–5–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 26–9'–2017को अप्रार्थी संख्या 2,3,4 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 52 दिनांक 23–5–2017 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक के सम्बन्ध मे कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम राजपुरा,पटवार हल्का बाल्दा संवत 2071–2074 के अनुसार खसरा नंबर 791 रकबा 1.1300 हेक्टेयर वादी के नाम खातेदारी दर्ज है शेष कथन वादी स्वंय सिद्व करें प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम राजपुरा पटवार हल्का बाल्दा संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 804 रकबा 1.2100 हेक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है। शेष कथन वादी स्वंय सिद्व करें । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 कथन वादी स्वंय सिद्व करना बताया तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे कथन किया कि खसरा नंबर 804 रकबा 1.2100 हैक्टेयर भूमि मे मौके अनुसार वादी द्वारा कुआ खुदवा कर डिजल पम्पसैट स्थापित किया हुआ है तथा इस भूमि पर वर्तमान मे वादीगण का कब्जा है। शेष कथन वादी स्वंय सिद्व करना बताया है तथा प्रा.प. के शेष पद संख्या 5 से 11 वादी स्वंय सिद्व करना व 12 से 15 का प्रत्युत्तर अपेक्षित नही होना तहसीलदार ,सिरोही ने बताया है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-5

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–12–2017 को दौराने सुनवाई पत्रावली देखने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 2/3/4 की ओर से वकील श्री कलीम अव्वल को जवाब पेश करने हेतु समय चाहने पर न्यायहित मे पूर्व मे पर्याप्त अवसर देने से आगे समय दिया जाना न्यायोचित नही होने से अप्रार्थी संख्या 2/3/4 का जवाब सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि व्यतीत होने के बावजूद पेश नही करने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2/3/4 का जवाब बंद करने का आदेश दिया गया । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री दिनेश टांक ने अण्डर टेकिंग गत पेशी दिनांक 11–7–2017 को ले रखी है लेकिन सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि गुजर जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा व जवाब आज दिन तक प्रस्तुत नही नकरने से अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब भी बंद करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 19–2–2018 को वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तथा अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने फार्म नंबर 3 के संलग्न मिलान क्षैत्रफल/जमाबंदी संवत 2063 से 2066/खसरा गिरदावरी/निर्णय की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा संख्या 360 मेसे 13 बीघा 13 विस्वा भूमि का आवंटन धांची समाज के व्यक्तियों ओटा/बाबू/मगन पिसरान भुराजी और कानाजी धांची को हआ था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त आवंटियों को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस मे वर्णित खसरा नंबर 804 के "एबीसीडी" भू भाग और उससे लगती भूमि पर काबिज कराकर कब्जा सुपुर्द किया था तब से धांची समाज के उक्त व्यक्तियों उपरोक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी हवीया और उसके भाई सवीया ने उपरोक्त खसरा नंबर 804 के "एबीसीडी" भू भाग और उससे लगती भूमि को आज से करीब 36 वर्ष पहले पूर्व के खातेदार ओटा/बाबु/मगन पिसरान भूराजी और काना धांची से खरीद कर कब्जा धारण किया है। उपरोक्त भूमि को खरीदने के बाद दोनो भाईयों प्रार्थी हवीया और सवीया ने उकत भूमि को कडी मेहनत से उपजाउ बनाया । दोनो भाईयों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान मे आवेदन प्रस्तुत कर कब्जे शुदा भूमि का बंटवाड कराया जिससे संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस मे वर्णित "एबीसीडी" भू भाग प्रिार्थी सवीया के हिस्से मे आया जिसके वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार उक्त "एबीसीडी" भू भाग के खसरा नंबर 804 होते है अर्थात

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-6

वर्तमान खसरा नंबर 804 की भूमि पर प्रार्थी हवीया का कब्जा काश्त पिछले 36 वपर्षो से लगतार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार व अडौस पडौस की स्थिति अनुसार उपर वर्णित प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के नये खसरा नंबर 804 होते है लेकिन सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियें ने खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि को लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज करने के बजाय अप्रार्थी संख्या 4 और अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता और दादा भीखा पिसरान हटाजी अंकित कर दी है जबकि भीखा/भगा पिसरान हटाजी का उक्त खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है।राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के खातेदारी मे मौके एवं कब्जे के अनुसार खसरा नंबर 804 अंकित नही होकर खसरा नंबर 791 अंकित हो जाने से प्रार्थी को सरकारी कार्यो मे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे आगे यह कथन किया कि खसरा नंबर 804 की कृषि आराजी पर पिछले 38 सालों से काबिज है। न्यायालय द्वारा पूर्व मे अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय की पालना मे विचारण यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट व दावा अ.धा. 88/188 आर.टी.एक्ट का न्यायालय के आदेशानुसार पेश किया है। संवत 2063 की गिरदावरी के बाद सन् 2016 की मौका रिर्पोट मे हमारा कब्जा खसरा नंबर 804 मे है। अतः अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ग्राम राजपुरा बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 804 के ए.बी.सी.डी. भाग मे 01.13 हेक्टेयर कब्जे वाली भूमि पर तानिर्णय वाद प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वंय पैदा करें एवं नही अपपने एजेण्टों के जरिये पैदा करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को परिवर्तित नही करावें तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तकरण नही करें/अप्रार्थी संख्या 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को तानिर्णय वाद परिवर्तित नही करें ।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि यह प्रकरण प्रार्थी को अन्य जगह काबिज कराकर स्थापित करने संबंधी है।तथा मिलान क्षैत्रफ लमे भी खसरा नंबर अलग अलग है। प्रार्थी के खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 573/360 एवं नये खसरा नंबर 791 मिलान क्षैत्रफल एवं रकबा अनुसार सही है। इस पद मे दर्ज कथन कि राजस्व कर्मचारियों ने सेटलमेण्ट के दौरान खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि को लापरवाही पूर्व्रक प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-7

के खातेदारी मे दर्ज करने की बजाय अप्रार्थी संख्या 4 मगा एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं दादा के नाम

दर्ज की गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि हकीकत यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 804 (नये) एवं पुराने खसरा संख्या 581/361 है जो मिलान क्षैत्रफल एवं राजस्व नक्शे से प्रमाणित होता है। प्रार्थी का उक्त खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है।सेटलमेण्ट के बाद आपसी रजामंदी से बंटवाडा किया है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2063 के अनुसार प्रार्थी खसरा नंबर 791 पर व अप्रार्थीगण खसरा नंबर 804 पर काबिज है। खसरा नंबर 791 का पुराना खसरा नंबर 573/360 का जो मिलान खसरा से भी मिलता है। तथा खसरा नंबर 804 का पुराना खसरा नंबर 581/361 है उसी अनुसार अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थी को पूर्व मे अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट मे पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की विधिवत अपील करनी चाहिये थी । प्रार्थी का कुआं भी खसरा नंबर 793 मे है। प्रार्थी जरिये रजिस्टरी क्रेता के रूप मे आये है।अप्रार्थीगण खसरा नंबर 804 के कृषि आराजी के खातेदार कृषक है तथा मौके पर उसी अनुसार काबिज काश्त भी है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टयॉ मामला टाईटल नही होने व सुविधा का संतुलन आधिपत्य (कब्जा काश्त) नही होने से प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज योग्य होने से खारिज कराना फरमावें ।

हमने वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थीगण की अतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया तथा विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तथा अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तथा राजस्व रेकर्ड प्रतियो सहित गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी नकल व जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तथा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 804 रकबा 1.21 हेक्टेयर का पुराना गत खसरा नंबर 581/361 रकबा 1.21 हेक्टेयर है जो कि प्रार्थी के खसरा नंबर से अलग है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2063 से 2066 खाता संख्या 273 नया खसरा संख्या 791,793,794 का आपसी बंटवाड नामान्तकरण संख्या 47 के जरिये आपसी बंटवाड दिनाक 8–2–2008 को हुआ जिसके अनुसार खसरा नंबर 791 प्रार्थी के हिस्से मे बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबंदी की नकलों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 804 अप्रार्थीगण की होने से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। उक्त सभी से स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 804 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त हमारा निष्कर्ष है कि यह निर्विवाद है कि विवादित कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-8

अप्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थी इस भूमि पर प्रतिकूल आधिपत्य (एडर्वस पजेशन) के आधार पर अपने पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। राज.काश्त.अधिनियम 1955 की धारा 212 के अर्न्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे संबंधित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो, प्रमाणित करना होता है। परन्तु इस प्रकरण मे पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी का विवादित कृषि भूमि पर पिछले 38 सालों से निरन्तर व निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक पर काबिज काश्त हो । इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष मे न तो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल है तथा न ही प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य ही प्रमाणित है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण प्रमाणित नही होने से अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत् प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

27/2/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 27–2–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया ।

27/2/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)